



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247114
CG-DL-E-06072023-247114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2864]
No. 2864]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2023/आषाढ़ 15, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2023/ASHADHA 15, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

का.आ. 2989(अ).—यतः, मै. गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड ने गुजरात राज्य में गांधीनगर जिले के ग्राम फिरोजपुर एवं रतनपुर में बहु-सेवा के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1910(अ) दिनांक 18 अगस्त, 2011 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 105.4386 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड ने अब भूमि के पुनः सर्वेक्षण के कारण, उपरोक्त मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1910(अ) दिनांक 18 अगस्त, 2011 के सर्वेक्षण संख्याओं में संशोधन के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में, जिला निरीक्षक भूमि अभिलेख, गांधीनगर द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र दिनांक 24.04.2023 के अनुसार, मूल अधिसूचना में

उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याओं की संख्या अब तेरह (13) की जगह चौदह (14) तक बढ़ गई है। हालाँकि, अधिसूचित मूल कुल क्षेत्रफल (अर्थात्, 105.4386 हेक्टेयर) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार मूल अधिसूचना में सर्वेक्षण संख्याओं को संशोधित करती है, अर्थात्:-

क्रम. सं.	गाँव का नाम	संशोधित सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	रतनपुर	505/भाग	0.5373
2.		507	0.5946
3.		508/ भाग	0.5232
4.		500/ भाग	55.7075
5.	फिरोजपुर	491	0.2630
6.		492	0.5868
7.		493	0.5666
8.		186	0.4957
9.		490/ भाग	0.5261
10.		187/ भाग	0.3136
11.		489	1.2039
12.		488	0.2732
13.		188	11.9862
14.		189	31.8609
एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल			105.4386

[फा. सं. एफ.1/145/2007-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

S.O. 2989(E).—Whereas, M/s. GIFT SEZ Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Multi-Services at Villages Phirozpur and Ratanpur, District: Gandhinagar in the State of Gujarat;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1910(E) dated 18th August, 2011 an area of 105.4386 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, M/s. GIFT SEZ Limited has now requested for revision of survey numbers in the said original notification Number S.O. 1910(E) dated 18th August, 2011 on account of re-survey of land. Further, as per the

Certificate dated 24.04.2023 certified by the District Inspector Land Records, Gandhinagar, the number of original survey numbers mentioned in the original notification for thirteen (13) survey numbers has now gone up to fourteen (14) survey numbers. However, there is no change in the original total area notified (i.e., 105.4386 Ha);

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby revise the survey numbers in the original notification as per the details given below in the table, namely: -

Sl. No.	Name of Village	Revised Survey No.	Total Area (in Hectares)
1.	Ratanpur	505/P	0.5373
2.		507	0.5946
3.		508/P	0.5232
4.		500/P	55.7075
5.	Phirozpur	491	0.2630
6.		492	0.5868
7.		493	0.5666
8.		186	0.4957
9.		490/P	0.5261
10.		187/P	0.3136
11.		489	1.2039
12.		488	0.2732
13.		188	11.9862
14.		189	31.8609
Total notified area of the SEZ			105.4386

[F. No. F.1/145/2007-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.